कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 18/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

दिनांक – 11.01.2026

थाना – बिलरियागंज, जनपद – आजमगढ़

थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा कुल 04 वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, *अपर पुलिस अधीक्षक नगर* श्री मधुबन सिंह के कुशल निर्देशन, *क्षेत्राधिकारी सगड़ी* श्री अनिल कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री सुनील कुमार दुबे के नेतृत्व में आज दिनांक *11 जनवरी 2026* को *थाना बिलरियागंज* पुलिस टीम द्वारा कुल ***04 वारंटियों को गिरफ्तार*** किया गया।

गिरफ्तार किए गए वारंटियों का विवरण निम्नवत है–

1. लल्लन यादव पुत्र राजकरन यादव, उम्र करीब 46 वर्ष।
2. देवलाल यादव पुत्र जमुना यादव, उम्र करीब 60 वर्ष।
3. राजन यादव उर्फ राजनरायन पुत्र नन्दलाल, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी बगवार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. सुधाकर पाठक पुत्र स्व0 रामदुलारे पाठक, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासी शांतिपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना देवगाव, जनपद आजमगढ

बकरी चोरी एवं पशु क्रूरता के मामलों में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अपराध का विवरण:-

➡ दिनांक 28.12.2025 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदक गुलजार अहमद पुत्र स्व0 अकबाल अहमद निवसी जेहतमन्दपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के घर से नौ बकरी को चुरा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 491/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात् पंजीकृत किया गया है।

➡ दिनांक 05.01.2026 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम सलेमपुर सिवान में स्थित नई पोखरी के पास पर अज्ञात व्यक्तियो द्वारा अज्ञात जानवर को क्रुरता पुर्वक काटने के सम्बन्ध मे दाखिल किया गया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 325 बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.01.2025 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1.फहीम पुत्र स्व0 नुरूलहुदा निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2.मिस्टर उर्फ मो0 वाहिन पुत्र जलालुद्दीन निवासी अकबरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को जिरीकपुर मोड से समय 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.फहीम पुत्र स्व0 नुरूलहुदा निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2.मिस्टर उर्फ मो0 वाहिन पुत्र जलालुद्दीन निवासी अकबरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 021/2026 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद नाजायज चाकू
2. एक अदद बोलेरो UP62N0224
3. माल मसरूका 2100 रुपया

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2.उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3.हे0का0 प्रमोद कुमार वर्मा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
4.उ0नि0 शिवश्याम मिश्रा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
5.का0 शैलेन्द्र थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
6.हे0का0 सर्वेश कुमार सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
7.हो0गा0 संजय राय थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 11.01.2026

थाना – तहबरपुर, जनपद – आजमगढ़

शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **01.12.2025** को थाना तहबरपुर पर एक नाबालिग बालिका के घर से लापता होने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 248/2025** धारा **137(2) भा0न्या0सं0** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में **धारा 87/64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण:-

दिनांक **10.01.2026** को उप निरीक्षक लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा **मुखबिर की सूचना** पर **दुर्वासा धाम क्षेत्र** से समय करीब **17:00 बजे** अभियुक्त **विवेक कुमार पुत्र स्व0 रामबृक्ष**,, उम्र करीब **19 वर्ष**, निवासी – थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. विवेक कुमार पुत्र स्व0 रामबृक्ष,, उम्र करीब **19 वर्ष**, निवासी – थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 **248/2025**,धारा **137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट**,थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी – थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अरविन्द कुमार – थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 रूपा सरोज – थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.01.2026
थाना – मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो प्रसारित कर साइबर ठगी करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **06.09.2024** को थाना जहानागंज पर एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया/व्हाट्सएप पर प्रसारित की गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर पीड़िता से **फोन-पे के माध्यम से कुल ₹8000/-** की धनराशि ठगी किए जाने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर **मु0अ0सं0 482/2024, धारा 66D आईटी एक्ट** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में **धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त **रविन्द्र पाल** का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक **11.01.2026** को निरीक्षक अपराध अखिलेश शुक्ल द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त **रविन्द्र पाल पुत्र मुलायम पाल**,निवासी – ग्राम सकुली, थाना सेन्दरी, जिला निवाड़ी (मध्य प्रदेश) को **रोडवेज बस स्टेशन मुबारकपुर** से समय करीब **12:45 बजे** नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. रविन्द्र पाल पुत्र मुलायम पाल,निवासी – ग्राम सकुली, थाना सेन्दरी, जिला निवाड़ी (मध्य प्रदेश)।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 **482/2024**,धारा **319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट**, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक अपराध **अखिलेश शुक्ल**, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

दिनांक – 11.01.2026

थाना – जहानागंज, जनपद – आजमगढ़

थाना-जहानागंज पुलिस द्वारा कुल 07वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वारंटियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन सिंह के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आज दिनांक ***11 जनवरी 2026*** को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा कुल ***07 वारंटियों को गिरफ्तार*** किया गया।

गिरफ्तार किए गए वारंटियों का विवरण निम्नवत है–

1. **शैलेष पुत्र जगतू**, निवासी बेनपुर अमदही, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 60 वर्ष।
2. **गणेश प्रजापति पुत्र खुरमुल्ली**, निवासी अमदही, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 60 वर्ष।
3. **राहुल पुत्र हरिश्चन्द्र**, निवासी बेनपुर अमदही, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।
4. **जगदीश पुत्र बालिम**, निवासी कोल्हूखोर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 60 वर्ष।
5. **खुबलाल पुत्र सालिम**, निवासी कोल्हूखोर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।
6. **गोविन्द पुत्र रमेश**, निवासी मैनुद्दीनपुर (बारीगांव), थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।
7. **विनोद पुत्र जयराम**, निवासी मैनुद्दीनपुर (बारीगांव), थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

   गिरफ्तार समस्त वारंटियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस नोट

थाना – कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना / गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक **10.01.2026** को उ0नि0 **महेश प्रताप सिंह** मय हमराह के साथ थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं क्षेत्र भ्रमण में मामूर थे। इसी दौरान **मुखबिर खास** द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति **सेहदा हाईवे चौराहे से सेहदा पंचायत भवन जाने वाले मार्ग** पर अवैध असलहे के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहा है। सूचना पर तत्काल विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर दिनांक **10.01.2026** को समय करीब **21:14 बजे सेहदा पनीर फैक्ट्री जाने वाले रास्ते पर रोड के किनारे** से अभियुक्त **अभिनन्दन पाण्डेय उर्फ चुलबुल पाण्डेय**, पुत्र – सुधाकर पाण्डेय, निवासी – ग्राम चकमुरलीधर चकिया, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र – करीब **22 वर्ष** को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 **012/2026**,धारा **3/25 आर्म्स एक्ट पजीकृत किया गया।** अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अभिनन्दन पाण्डेय उर्फ चुलबुल पाण्डेय, पुत्र – सुधाकर पाण्डेय, निवासी – ग्राम चकमुरलीधर चकिया, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र – करीब **22 वर्ष**

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद नाजायज देशी तमंचा **.315 बोर**
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस **.315 बोर**

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 **012/2026**,धारा **3/25 आर्म्स एक्ट**,थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	स्थिति
1	358/2025	109(1)/352/351(3) BNS	कन्धरापुर	आजमगढ़	विवेचनाधीन
2	454/2023	307/323 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़	आरोप पत्र प्रेषित
3	655/2023	504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़	आरोप पत्र प्रेषित
4	221/2024	2(b)(i), 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़	आरोप पत्र प्रेषित
5	409/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	सिधारी	आजमगढ़	आरोप पत्र प्रेषित
6	012/2026	3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर	आजमगढ़	विवेचनाधीन

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 **महेश प्रताप सिंह** – थाना कन्धरापुर
2. हे0का0 **राकेश कुमार तिवारी** – थाना कन्धरापुर
3. का0 **अजीत यादव** – थाना कन्धरापुर

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – मेंहनगर, जनपद – आजमगढ़

महिला की फोटो पर अश्लील टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **04.01.2026** को थाना मेंहनगर पर एक महिला द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके नाम से **फर्जी इंस्टाग्राम आईडी** बनाकर उनकी फोटो पर अश्लील टिप्पणी करते हुए उसे वायरल किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर **मु0अ0सं0 05/2026, धारा 67 आईटी एक्ट** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना नि0अ0 **जयप्रकाश यादव** द्वारा संपादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण:-

आज दिनांक **11.01.2026** को नि0अ0 जयप्रकाश यादव मय हमराह का0 अभिषेक यादव क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **मनीष कुमार** को उसके घर से समय करीब **14:00 बजे** गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मनीष कुमार पुत्र राजेश राम,निवासी – ग्राम जगदीशपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त **01 अदद मोबाइल फोन**।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 **05/2026**, धारा **67 आईटी एक्ट**,थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. नि0अ0 **जयप्रकाश यादव** – थाना मेंहनगर
2. का0 **अभिषेक यादव** – थाना मेंहनगर

प्रेस-नोट

यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत सड़क पर कैट-आई एवं डेलीनेटर लगाए गए

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ ***डॉ0 श्री अनिल कुमार*** के निर्देशन में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा रात्रि के समय सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज दिनांक ***11.01.2026*** को प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

इस क्रम में शहर के प्रमुख मार्ग ***सिविल लाइन चौराहा से गिरजाघर चौराहा** तक सड़क पर **डेलीनेटर एवं कैट-आई (रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स)*** लगाए जाने का कार्य पूर्ण कराया गया। उक्त व्यवस्था से रात्रि के अंधेरे एवं कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सड़क की चौड़ाई एवं लेन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी।

सड़क के मध्य एवं किनारों पर लगाए गए कैट-आई वाहन चालकों को निर्धारित लेन में चलने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आमजन को सुरक्षित यातायात सुविधा मिलेगी। साथ ही, इस व्यवस्था से यातायात जाम की समस्या में भी कमी आने की संभावना है।

यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि सड़क पर लगाए गए यातायात सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस-नोट

व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

आज दिनांक ***11.01.2026 (रविवार)*** को समय ***12.00 बजे*** पुलिस लाइन आज़मगढ़ स्थित सभागार में ***व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, थाना एएचटी जनपद आजमगढ़*** की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

यह बैठक ***पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ*** के आदेशों के अनुपालन में ***श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय*** एवं ***श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ*** के निर्देशन तथा ***श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर/सहायक नोडल अधिकारी, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ*** के पर्यवेक्षण में ***प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली*** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में जनपद के व्यापारी बंधुओं, पेट्रोल पम्प संचालकों, बैंक मित्रों एवं माइक्रो फाइनेंस कर्मियों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों द्वारा निम्न प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया गया—

1. ***थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रोडवेज बस स्टैंड*** पर सरकारी बसों द्वारा सवारियों को बस स्टैंड के भीतर न बैठाकर मुख्य सड़क पर बैठाया जाना एवं बसों को दो-तीन पंक्तियों में खड़ा किए जाने से जाम की स्थिति उत्पन्न होना।
2. ***थाना सिधारी क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन के आसपास*** दुकानों के सामने अनियंत्रित रूप से मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन एवं ई-रिक्शा खड़े किए जाने से आवागमन में हो रही कठिनाई।
3. ***थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हाफिजपुर चौराहा*** पर जलभराव की समस्या, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। व्यापारियों द्वारा लगभग 50 मीटर अतिरिक्त नाली निर्माण कराए जाने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्थानों पर स्पीड ब्रेकर एवं कट लगाए जाने की भी मांग रखी गई।

उपरोक्त समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु ***प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली*** द्वारा ***यातायात निरीक्षक*** को थाना कोतवाली एवं सिधारी क्षेत्र में जाम की समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। अन्य समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।

बैठक में ***प्रभारी निरीक्षक श्री अभयराज मिश्रा (थाना एएचटी), निरीक्षक यातायात श्री संजय कुमार पाल,*** थाना एएचटी के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, ***नगर पालिका आजमगढ़*** के पदाधिकारी, जनपद के विभिन्न व्यापार संगठन के पदाधिकारी, व्यापारी बंधु, पेट्रोल पम्प मालिक, सर्राफा व्यापारी आदि उपस्थित रहे।

प्रेस नोट

दिनांक – 11.01.2026

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं *अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण* में आज दिनांक *11.01.2026* को *थाना कोतवाली* आजमगढ़ परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण** की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल ***10 पत्रावलियों*** में पक्षकारों को मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिनमें से ***09 पत्रावलियों में पक्ष उपस्थित हुए।***

- ***02 पत्रावलियों में दो दंपत्तियों द्वारा कुशलता प्रकट की गई।***
- ***02 पत्रावलियों में अथक प्रयासों के बाद दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामलों में आपसी सहमति से समझौता कराकर विदाई कराई गई।***
- ***01 पत्रावली अन्य कारणों से बंद की गई।***
- *शेष पत्रावलियों में अग्रिम तिथि हेतु नोटिस/फोन द्वारा सूचना दी जाएगी।*

**नई-किरण प्रोजेक्ट* के माध्यम से बिखरे परिवारों को पुनः जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार कम होगा।*

इस अवसर पर काउंसलर ***गिरीश सिंह पटेल**,* उ0नि0 ***महेन्द्र प्रसाद तिवारी**,* उ0नि0 ***सत्यनारायण यादव**,* आरक्षी ***जितेन्द्र कुमार शाह**,* आरक्षी ***सुनील कुमार गुप्ता*** एवं महिला आरक्षी ***नेहा सिंह*** उपस्थित रहीं।

कुल समझौते – 02

प्रेस नोट

थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़

(धारा 84 बीएनएसएस की कार्यवाही)

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत ***मु0अ0सं0 472/2024 धारा 109(1) बीएनएस*** से संबंधित वांछित अभियुक्त ***अपराधी यादव उर्फ मन्टू यादव पुत्र अखिलेश यादव**,* निवासी ग्राम *बभनी बेलवनिया*, थाना *मदनपुर*, जनपद दे*वरिया* के विरुद्ध माननीय न्यायालय से ***धारा 84 बीएनएसएस*** की आदेशिका निर्गत कराई गई।

न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में नियमानुसार अभियुक्त के निवास स्थान पर ***समक्ष गवाहान धारा 84 बीएनएसएस की नोटिस चस्पा की गई*** तथा ***डुगडुगी बजवाकर उद्घोषणा की कार्यवाही*** संपादित की गई। अभियुक्त को नियत समयावधि के भीतर न्यायालय/पुलिस के समक्ष उपस्थित होने हेतु चेतावनी दी गई है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

अपराधिक इतिहास – अभियुक्त अपराधी यादव उर्फ मन्टू यादव

1. मु0अ0सं0 ***446/2025**,* धारा ***304, 317(2), 3(5) बीएनएस**,* थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 ***472/2024**, धारा **109(1) बीएनएस**,* थाना कोतवाली, आजमगढ़

पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सतत प्रचलित है।